# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी : श्री किशन** **विपक्षी : श्री राजुदास उर्फ हरिदास**

**किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम** **पत्रावली संख्या : 03/21**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 08.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व राजपेरोकार 3 व 5 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर अपील स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट्स की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 4229 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 2 से दिनांक 24.01.2019 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर ''एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ है जिस आधार पर उक्त नामान्तरकरण सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।'' का अंकन करते हुए उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की हैं। उक्त विक्रय पत्र के निरस्तीकरण बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की गई हैं केवल मात्र कोरम में प्रार्थना पत्र पेश करने का अंकन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 4229 दिनांक 05.12.2019 खारिज कर दिया हैं। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पेश की, जिसमें अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 से भूमि क्रय की हैं। जिसके तहत् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम भूमि दर्ज किया जाना न्यायहित में उचित हैं। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी ठोस आधार के उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता हैं जिसे सही किया जाना उचित हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 4229 दिनांक 05.12.2019 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में साक्ष्य गवाह बयान आदि एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2019 के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.04.19 13:56:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली